विचार प्रकट करें सर्वेक्षण (Speaking Out Survey)

माता-पिता/देखभाकर्ताओं (कक्षा 4 से 6) के लिए जानकारी

बाल एवं युवा आयुक्त (Commissioner for Children and Young People) पूरे WA में कक्षा 4 से कक्षा 12 में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से यह निवेदन कर रहे हैं कि वे उनके कल्याण को प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने विचार प्रकट करें और हम चाहते हैं कि आपकी संतान भाग ले।

आयुक्त (कमिश्नर) कौन हैं?

जैकलीन मैक्गोवन-जोन्स(Jacqueline McGowan-Jones) बाल एवं युवा आयुक्त (Commissioner for Children and Young People) हैं। कमिश्नर सरकार से स्वतंत्र होता है और WA में सभी बच्चों और युवाओं के कल्याण को बेहतर बनाने के लिए काम करता है।

मेरी संतान को क्या करने के लिए कहा जाएगा?

यदि आपकी संतान भाग लेने का चयन करती है, तो उन्हें एक टैबलेट पर **30 से 45 मिनट का सर्वेक्षण** पूरा करने के लिए कहा जाएगा। सर्वेक्षण एक स्कूली अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा।

आपकी संतान से उनकी पृष्ठभूमि और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कई मुद्दों, जैसे कि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवार, मित्रताओं, स्कूल और खेलकूद तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता, के बारे में सवाल पूछे जाएँगे। कुछ और अधिक विशिष्ट तथा कभी-कभार संवेदनशील मुद्दे जिन्हें शामिल किया जाता है उनमें शामिल हैं: वज़न और पोषण, भावनात्मक कल्याण और बुलिंग (डराने-धमकाने वाला व्यवहार)।

सभी सवाल स्वैच्छिक होंगे और यदि बच्चे उनका जवाब न देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। आपकी संतान को अपना नाम या कोई अन्य पहचान योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं कहा जाएगा ताकि किसी बच्चे/बच्ची के सर्वेक्षण के जवाबों से उसकी निजी पहचान करनी संभव न हो।

यदि ज़रूरी होगा तो कमिश्नर के कार्यालय के कर्मचारी सर्वेक्षण पूरा करने में आपकी संतान की सहायता करेंगे। कमिश्नर के सभी कर्मचारियों के पास वर्किंग विद दि चिल्ड्रन चेक की योग्यता होती है। बच्चों की निगरानी करने में सहायता देने के लिए एक टीचर भी उपस्थित होगा, परन्तु वे किसी बच्चे के सवालों के दिए जवाब पढ़ नहीं पाएँगे।

यदि सर्वेक्षण के किसी सवाल का जवाब देने से बच्चे/बच्ची को कोई समस्या होती है या वह इससे परेशान हो जाता/जाती है, तो कमिश्नर के कर्मचारी यह सुझाव देंगे कि वह सर्वेक्षण बंद कर दे और वे उसे किसी भरोसेमंद

वयस्क (जैसे कि माता-पिता या अध्यापक) से बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी सहभागियों को कार्ड लिस्टिंग सहायता सेवाएँ दी जाएँगी जैसे कि Kids Helpline या Beyond Blue।

मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है?

यह फैसला आपका और आपकी संतान का है कि भाग लेना है या नहीं। आपको हाँ या नहीं कहने की पूरी स्वतंत्रता है। आप जो फैसला लेंगे उससे आपकी संतान के ग्रेड्स, अध्यापकों या स्कूल के साथ आपके संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार तथा कमिश्नर को आपके फैसले के बारे में नहीं बताया जाएगा।

आपकी संतान को कमिश्नर द्वारा प्रदान की गई जानकारी दी गई है और हम आपको बढ़ावा देते हैं कि आप इसकी चर्चा उनके साथ करें।

यदि आप और आपकी संतान दोनों इस बात से प्रसन्न हैं कि आपकी संतान इसमें शामिल हो, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन कमिश्नर्स के कर्मचारी सर्वेक्षण लेने के लिए स्कूल आएँगे उस दिन आपकी संतान को भाग लेने के लिए कहा जाएगा।

यदि उस दिन आपकी संतान भाग नहीं लेना चाहे, तो वह ऐसा कर सकती है। उन्हें बस अपने अध्यापक को बताना होगा। जो बच्चे सर्वेक्षण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें करने के लिए कोई दूसरी गतिविधि दी जाएगी जो सर्वेक्षण से

यदि आप चाहते/चाहती हैं कि आपकी संतान भाग न ले:

कृपया निम्नलिखित पृष्ठ को पूरा भरें और उस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे यथाशीघ्र, लेकिन सर्वेक्षण तिथि से तीन दिन पहले अपने बच्चे के स्कूल में वापस लौटा दें।

सम्बन्धित नहीं होगी।

जानकारी का प्रयोग किस काम के लिए किया जाएगा?

विचार प्रकट करें सर्वेक्षण बाल एवं युवा आयुक्त (Commissioner for Children and Young People) द्वारा की गई एक पहल है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए विचारों को कमिश्नर द्वारा बच्चों और युवाओं के कल्याण के बारे में सरकार और अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रकाशनों में शामिल किया जाएगा ताकि नीतियों और बच्चों व उनके परिवारों के लिए उपलब्ध सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। इन्हें उनकी वार्षिक रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और वेबसाइट जैसे प्रकाशनों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

अन्य सरकारी संस्थाएँ कमिश्नर से इस जानकारी का निवेदन कर सकती हैं।

विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी गुमनाम होती है (उनसे उनका नाम नहीं पूछा जाएगा) और इसे गोपनीय रखा जाएगा बशर्ते कि वे कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कमिश्नर के कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा और कल्याण को लेकर चिंता होती है।

सर्वेक्षण का प्रबंध

- विचार प्रकट करें सर्वेक्षण the Department of Education द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- सारी जानकारी कमिश्नर द्वारा सुरक्षित रूप से संभाल कर रखी जाएगी और इसतक केवल कमिश्नर के सीमित कर्मचारी ही पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
- परियोजना की समाप्ति पर एक सारांश रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। उदाहरण के लिए कमिश्नर की वेबसाइट ccyp.wa.gov.au पर विचार प्रकट करें सर्वेक्षण 2019 की सारांश रिपोर्ट का संदर्भ लें।

और अधिक जानकारी के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप किसी स्टाफ सदस्य से यह जानना चाहते हैं कि सर्वेक्षण के दिन स्कूल में क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने स्कूल समन्वयक से संपर्क करें।

सर्वेक्षण संबंधी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में Commissioner for Children and Young People WA में कार्यरत कर्मचारी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें (08) 6213 2204 पर फ़ोन या research@ccyp.wa.gov.au अथवा Western Australian Aboriginal Health Ethics Committee, WAAHEC Human Research Ethics Officer P: (08) 9227 1631 E: ethics@ahcwa.org पर ईमेल कर सकते हैं।

यदि आप विचार प्रकट करें सर्वेक्षण के बारे में या कमिश्नर के काम के बारे में और अधिक पढना चाहते/चाहती हैं, तो हमारी वेबसाइट ccyp.wa.gov.au देखें।

आपके समर्थन के लिए आपका धन्यवाद।

Commissioner for Children and Young People
Western Australia

माता-पिता / देखभालकर्ताओं के लिए गैर-सहमति फॉर्म

विचार प्रकट करें सर्वेक्षण

- ✓ मैंने इस सर्वेक्षण के बारे में सूचना पढ़ और समझ ली है, या मुझे इसका विवरण दिया गया है।
- ✓ मैं समझता/समझती हूँ कि यह ज़रूरी नहीं है कि मेरी संतान भाग ले।
- ✓ मैंने इस सर्वेक्षण की चर्चा अपनी संतान के साथ कर ली है।

सर्वेक्षण में भाग लेने के हेतु संतान के लिए गैर-सहमति

मैं अपनी संतान को भाग लेने की सहमति <u>नहीं</u> देता/देती हूँ:

संतान का पूरा नाम (प्रिंट करें): ____

माता-पिता/देखभालकर्ता का पूरा नाम (प्रिंट करें): ________________________________

माता-पिता/देखभालकर्ता के हस्ताक्षर: ____

आज की दिनांक: ____

कृपया यह फॉर्म अपनी संतान के स्कूल को वापिस करें।